रिपोर्टेबल

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार

सिविल अपील संख्या 4695–4699/2018

(एसएलपी (सी) सं.14306–14310/2017 से उत्पन्न)

रिचल और अन्य आदि – अपीलार्थी(गण)

बनाम

राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य आदि – प्रतिवादी (गण)

के साथ

सिविल अपील संख्या 4722 – 4725/2018

(एसएलपी (सी) सं. 19151 – 19154/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4702/2018

(एसएलपी (सी) सं.14481/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4700–4701/2018

(एसएलपी (सी) सं. 14356–14357/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील सं 4711 –4712/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 14593–14594/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4707–4710 /2018

(एसएलपी (सी) संख्या 14581–14584/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4703–4706/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 14522–14525/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4726/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 19157/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4713–4720/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 14947–14954/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4721/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 18982/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4727/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 21506/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4730/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 29556/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4728/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 24264/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4729/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 28724/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4731/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 32467/2017 से उत्पन्न)

सिविल अपील संख्या 4754/2018

(एसएलपी (सी) संख्या 11674/2018 (डायरी संख्या 9579/2018) से उत्पन्न)

निर्णय

न्यायाधीश, अशोक भूषण

1. विलंब माफ किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. अपीलों का यह बैच राजस्थान उच्च न्यायालय की विशेष अपील न्यायपीठों द्वारा दिए गए निर्णय पर सवाल उठाता है। राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 08.03.2017 को जोधपुर में दिए गए विशेष अपीलीय निर्णय और दिनांक 13.04.2017 को जयपुर पीठ में दिए गए निर्णय में अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णयों को चुनौती दी गई है।

3. अपीलकर्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग (इसके बाद "आयोग" के रूप में संदर्भित) द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता परीक्षा–2015 में उपस्थित हुए थे, जिसमें वे सफल घोषित नहीं किये गये। इन अपीलों को जन्म देने वाले संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:–

(I) राजस्थान लोक सेवा आयोग ने दिनांक 16.10.2015 के अपने विज्ञापन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के तहत विभिन्न विषयों के लिए स्कूल व्याख्याताओं के 13,000 पदों का विज्ञापन दिया। परीक्षा में दो पेपर शामिल थे–पेपर–I सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन, और पेपर–II – संबंधित विषयों के पेपर। यह परीक्षा 17 जुलाई, 2016 को आयोजित की गई थी। उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियों को आमंत्रित करते हुए 12.08.2016 को उत्तर कुंजी प्रकाशित की गई थी। कई उम्मीदवारों ने पेपर–I के साथ–साथ पेपर–II के संबंध में विभिन्न विषयों के संबंध में आपत्तियां प्रस्तुत कीं। दिनांक 22.09.2016 को आयोग ने परिणाम की घोषणा की जिसके विरुद्ध अंतिम उत्तर कुंजी के अनुसार विभिन्न उत्तरों पर सवाल उठाते हुए अनेक रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका संख्या 15028/2016 ***अरविंद कुमार व अन्य बनाम आरपीएससी और अन्य*** में अपने निर्णय और आदेश दिनांक 08.11.2016 के तहत विभिन्न निर्देशों के साथ रिट याचिका का निस्तारण किया।इनमें से एक निर्देश संशोधित उत्तर कुंजी को विशेषज्ञों की रिपोर्ट के साथ एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का था। विद्वत एकल न्यायाधीश के दिनांक 08.11.2016 के निर्देशों के अनुसरण में, अंतिम उत्तर कुंजी 18.11.2016 को प्रकाशित की गई थी और पेपर I में 18 प्रश्नों को हटा दिया गया था। उत्तर कुंजी पर विभिन्न आपत्तियां उठाते हुए उम्मीदवारों द्वारा विभिन्न रिट याचिकाएं दायर करके मुकदमों का दूसरा दौर शुरू किया गया। विद्वत एकल न्यायाधीश ने जोधपुर में दिनांक 08.02.2017 के अपने निर्णय द्वारा कई रिट याचिकाओं पर विचार करने के बाद रिट याचिकाओं के समूह को खारिज कर दिया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विभिन्न उत्तरों पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

(ii) दिनांक 08.02.2017 के निर्णय के विरुद्ध विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा जोधपुर में रिट अपील दायर की गई थी। खण्ड पीठ ने दिनांक 08.03.2017 के अपने फैसले के माध्यम से विद्वत एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करने वाली रिट अपीलों को खारिज कर दिया। रिट अपीलों को खारिज करते हुए, खण्ड पीठ द्वारा आयोग को उत्तर कुंजी और कार्रवाई की तैयारी और प्रकाशन के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे। रिट अपीलों को खारिज करते हुए खंडपीठ द्वारा आयोग को उत्तर कुंजी तैयार करने और प्रकाशित करने और मुख्य उत्तर तैयार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए गए थे। जयपुर में भी, रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ रिट अपील दायर की गई थी और जोधपुर में दिनांक 08.03.2017 को दिए गए फैसले के बाद 13.04.2017 के निर्णय के अनुसार, खण्ड पीठ ने विभिन्न रिट अपीलों को भी खारिज कर दिया।

(iii) दिनांक 08.03.2017 के निर्णय के बाद, जोधपुर और जयपुर दोनों की खण्ड पीठ ने कई अन्य रिट अपीलों को खारिज कर दिया। हमारे समक्ष, निर्णय दिनांक 08.03.2017 और निर्णय दिनांक 13.04.2017 तथा पूर्व के निर्णयों के बाद विभिन्न अन्य निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर की गई है। जोधपुर पीठ में दिनांक 08.03.2017 को दिया गया निर्णय मुख्य निर्णय है जिसका उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों के इस समूह पर निर्णय लेने के लिए कई निर्णयों में अनुसरण किया गया है। अपील के इस बैच पर निर्णय लेने के लिए 2017 की विशेष अनुमति याचिका (सी) सं. 14306–14310 ***रिचल और अन्य राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य*** आदि से उत्पन्न सिविल अपील को जन्म देने वाले दिनांक 08.03.2017 के खण्ड पीठ के निर्णय को संदर्भित करना और उस पर विचार करना पर्याप्त होगा।

4. अपीलों के इस बैच में अभियोग और हस्तक्षेप के लिए विभिन्न आवेदन दायर किए गए हैं। हम सभी प्रत्यारोपण और हस्तक्षेप अनुप्रयोगों की अनुमति देते हैं। इस

न्यायालय ने 16.01.2018 को मामले की सुनवाई के बाद निम्नलिखित आदेश पारित किया:–

> "राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने राजस्थान राज्य में स्कूल लेक्चररों के 13,000 से अधिक पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। उत्तरों की कुंजी भी प्रकाशित की गई थी। कुछ उम्मीदवारों ने सवाल किया कि उपरोक्त कुंजी कुछ प्रश्नों के सही उत्तर नहीं देती है। यह उल्लेख किया गया कि कुछ प्रश्न तो सही ढंग से तैयार भी नहीं किए गए थे। इसके आधार पर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने उन उम्मीदवारों की कथित शिकायतों पर गौर करने के बाद यह जांच करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया कि क्या उत्तरों की कुंजी सही है। विशेषज्ञ समिति ने 18 प्रश्नों को हटाने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट दी, जो विशेषज्ञ समिति के अनुसार सही ढंग से तैयार नहीं किए गए थे और इसलिए उन्हें हटाए जाने की आवश्यकता थी। इसने कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तरों को भी संशोधित किया।
>
> इससे मुकदमेबाजी का दूसरा दौर शुरू हो गया क्योंकि इसमें याचिकाकर्ताओं (जो उच्च न्यायालय में रिट याचिकाकर्ता थे) ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की पूर्वोक्त रिपोर्ट भी सही नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया कि 13 प्रश्नों को गलत तरीके से हटा दिया गया। इसके समर्थन में याचिकाकर्ताओं ने

एनसीआरटी की पाठ्य पुस्तकों का हवाला दिया, जिसके अनुसार उन प्रश्नों को सही ढंग से तैयार किया गया था और उन्हें हटाने का कोई सवाल ही नहीं था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पांच प्रश्न अभी भी गलत तरीके से तैयार किए गए थे, जिन्हें विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए उत्तरों को हटाने या सही करने की आवश्यकता थी। उच्च न्यायालय ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। अन्य बातों के साथ–साथ यह देखा गया है कि इस मामले को शांत किया जाना चाहिए क्योंकि राजस्थान राज्य में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति में देरी नहीं करना जनहित में होगा।

हमें सूचित किया गया है कि परिणाम की घोषणा के बाद, सफल उम्मीदवारों को पहले ही नियुक्ति दी जा चुकी है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि कई पद अभी भी खाली पड़े हैं। वे आगे प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है यदि पहले से ही नियुक्त किए गए उम्मीदवारों की नियुक्ति बाधित नहीं होती है और साथ ही याचिकाकर्ताओं द्वारा इंगित की गई शिकायतों को विशेषज्ञ समिति द्वारा फिर से देखा जाता है और यदि यह 5 याचिकाकर्ताओं के दावे में पूरी तरह या आंशिक रूप से औचित्य पाता है, केवल उन अन्य उम्मीदवारों के मामलों की फिर से जांच की जाती है जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, जो इन पहलुओं पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों द्वारा दी

जाएगी।आरपीएससी के विद्वान अधिवक्ता इस संबंध में निर्देश लेने के लिए कुछ समय चाहते हैं।

06.02.2018 को मामलों को सूचीबद्ध किया जावे।"

5. हमारे दिनांक 16.01.2018 के निर्देशों के अनुसरण में, रिट याचिकाकर्ताओं/अपीलकर्ताओं की शिकायतों की पुनः जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी। एक शपथ पत्र आयोग द्वारा दिनांक 14.04.2018 को रामदेव सिरोया द्वारा शपथित पत्र दाखिल किया गया है। हलफनामे में कहा गया है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर जिन नौ विषयों के लिए ये विशेषज्ञ नियुक्त किए गए थे, उनमें कुल मिलाकर 22 उत्तरों की दोबारा जांच की गई और उत्तरों को संशोधित किया गया। शपथ पत्र के पैराग्राफ 5 और 6 को उद्धृत करना उपयोगी होगा, जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

"5. विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर उन सभी नौ विषयों के 22 उत्तरों को संशोधित किया गया जिनके लिए इन विशेषज्ञों को याचिकाकर्ताओं के दावों की फिर से जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था।

6. सामान्य ज्ञान (पेपर I) के विषयों में पाँच प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित करने की आवश्यकता थी; पेपर II (विषय) में वाणिज्य में तीन प्रश्नों के उत्तरों को संशोधित करने की आवश्यकता थी; विषय भूगोल में तीन प्रश्न, विषय हिंदी में दो प्रश्न (शिक्षण पद्धति); विषय इतिहास में एक प्रश्न; विषय राजनीति विज्ञान में चार प्रश्न; और विषय में राजस्थानी के तीन प्रश्न संशोधित होने की सूचना दी गई थी। प्रश्न संख्या,

अंतिम कुंजी में उत्तर और नई विशेषज्ञ रिपोर्ट को दर्शाने वाला एक चार्ट इसके साथ दाखिल किया जा रहा है और संलग्नक 1 (पृष्ठ 5) के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। नौ विषयों में विशेषज्ञों की रिपोर्टों की सत्य और सही प्रतियां यहां दाखिल की जा रही हैं और उन्हें संलग्नक–2 (पृष्ठ 6–46) के रूप में चिह्नित किया जा रहा है। यह कहा गया है कि विशेषज्ञों की पहचान का खुलासा नहीं किया जा रहा है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई है उनका परिणाम राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित किया गया था।"

6. हलफनामे में यह भी कहा गया है कि सभी विषयों में कुल पदों की संख्या में से जिन 729 उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। इसके अलावा 316 उम्मीदवारों का चयन किया गया था, लेकिन उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी गई थी। इस प्रकार कुल 1045 पद रिक्त थे। विज्ञापित पदों, चयनित और अनुशंसित उम्मीदवारों और नियुक्तियों, ज्वाइन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और ऐसे उम्मीदवारों, जिनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई थी, आदि के सभी विवरणों को दर्शाने वाला एक विस्तृत चार्ट भी शपथ पत्र के साथ संलग्न किया गया है। शपथ पत्र में आगे कहा गया है कि अपीलों के वर्तमान बैच में सभी 311 उम्मीदवार हैं। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के बाद तैयार किए गए संशोधित परिणामों में कहा गया है कि सभी विशेष अनुमति याचिकाओं में से 48 याचिकाकर्ता चयन के लिए मेरिट में पाए गए हैं, जिन्हें नौ विषयों में बांटा गया है।

7. आयोग द्वारा दिनांक 14.04.2018 को दायर हलफनामे का जवाबी हलफनामा भी रिचल व अन्य की सिविल अपील में दायर किया गया है। उत्तर

हलफनामे में, यह कहा गया है कि आयोग ने विभिन्न श्रेणियों में पहले चयन के संदर्भ में अंतिम चयनित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वास्तविक अंकों का खुलासा नहीं किया है। यह कहा गया था कि आयोग को विभिन्न श्रेणियों में अंतिम चयनित उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त वास्तविक अंकों के आधार पर विशेषज्ञों द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में वर्तमान में चयनित उम्मीदवारों की एक संशोधित काल्पनिक चयन सूची तैयार करने की आवश्यकता है। अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय के दिनांक 16.01.2018 के आदेश के बाद उनके द्वारा प्रस्तुत दिनांक 23.01.2018 के अभ्यावेदन की प्रति भी रिकॉर्ड पर लाई है।

8. हमने अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के साथ–साथ आयोग के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, राजस्थान राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता और अभियोग और हस्तक्षेप की मांग करने वाले विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

9. अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि हालांकि इन अपीलों में अपीलार्थियों द्वारा उठाई गई पर्याप्त शिकायतें विशेषज्ञ समिति द्वारा संतुष्ट हैं, निर्देश के अनुसरण में नियुक्त की गई रिपोर्ट में विशेषज्ञों द्वारा किए गए संशोधन के बाद भी बहुत कम शिकायतें हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि संशोधन में भी कुछ गलतियों को सुधारा नहीं गया है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपने निवेदन के समर्थन में प्रश्न संख्या 58 और कुछ अन्य प्रश्नों सहित पेपर । के कुछ प्रश्नों का उल्लेख किया है।

10. अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत निवेदनों में से एक यह है कि 18 प्रश्नों के अंक जिन्हें पेपर संख्या 1 से हटा दिया गया था, शेष प्रश्नों में पुनर्वितरित कर दिए गए थे जबकि अंक केवल उन उम्मीदवारों को आवंटित किए जाने चाहिए जिनके पास ऐसे प्रश्नों को करने का प्रयास किया। जिन उम्मीदवारों ने उन प्रश्नों का

प्रयास भी नहीं किया, उन्हें अंक आवंटित किए गए जो कानून के अनुसार नहीं थे। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को अंक आवंटित किए जाने चाहिए जिन्होंने हटाए गए प्रश्नों को करने का प्रयास किया है, वैकल्पिक रूप से, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 18 हटाए गए प्रश्नों के संबंध में पूर्ण अंक सभी उम्मीदवारों को दिए जाने चाहिए थे।

11. आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलकर्ताओं की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि विशेषज्ञ समिति द्वारा लगभग सभी शिकायतों का ध्यान रखा गया है और गैर–चयनित उम्मीदवारों के परिणाम को संशोधित किया गया है, इन अपीलों में और कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विशेषज्ञों द्वारा प्रमुख उत्तरों को संशोधित करने और अब एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, यह न्यायालय अपीलार्थियों को विशेषज्ञ समिति के निर्णय को चुनौती देने की अनुमति नहीं देगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं में से केवल 48 चयनित पाए गए हैं।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता की प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. अपील के इस बैच में जो मुद्दा उठाया गया है वह आयोग द्वारा आपत्तियों पर विचार करने के बाद अपलोड किए गए अंतिम प्रमुख उत्तरों की शुद्धता से संबंधित है। अपीलकर्ताओं का मामला यह है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा आपत्तियों का उपचार विषय पर आधिकारिक पाठ्य पुस्तकों पर आधारित नहीं था और उत्तर कुंजी में कई त्रुटियां थीं, जो पूरे चयन को प्रभावित करने वाले उम्मीदवारों की योग्यता को प्रभावित करती थीं।

14. मुख्य उत्तर की शुद्धता की न्यायिक समीक्षा के दायरे से संबंधित मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा बार–बार विचार किया गया था। इस न्यायालय ने बहुत ही सीमित आधार पर ऐसी चुनौतियों पर विचार किया था और हमेशा विषय विशेषज्ञों की राय को उचित महत्व दिया है। कानपुर विश्वविद्यालय में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ ने ***कुलपति और अन्य बनाम समीर गुप्ता और अन्य, 1983 (4) SCC 309,*** के माध्यम से एक ऐसे मामले पर विचार करने का अवसर था जहां संयुक्त प्रीमेडिकल टेस्ट के माध्यम से चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा के बहुविकल्पी के संबंध में पेपरसेटर द्वारा दिए गए प्रमुख उत्तरों को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने विभिन्न महत्वपूर्ण उत्तरों के लिए उम्मीदवारों की चुनौती पर विचार करते हुए विभिन्न प्रश्नों के लिए चुनौती स्वीकार की। कुछ प्रश्नों के संबंध में उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मुख्य उत्तर सही उत्तर नहीं है। इस न्यायालय ने चुनौती का खंडन करते हुए पैराग्राफ 15 और 16 में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:–

> "15. उच्च न्यायालय के निष्कर्ष छात्र समुदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। आमतौर पर, किसी का इस विचार के प्रति झुकाव होगा, खासकर यदि कोई पेपरसेटर और परीक्षक रहा हो, कि पेपरसेटर द्वारा प्रस्तुत और विश्वविद्यालय द्वारा सही माने गए मुख्य उत्तर को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसे प्राप्त करने का एक तरीका यह है कि मुख्य उत्तर को प्रकाशित न किया जाए। यदि विश्वविद्यालय ने परीक्षा के परिणाम के साथ मुख्य उत्तर प्रकाशित नहीं किया होता, तो इस मामले में कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता। लेकिन इन मामलों को देखने का यह सही

तरीका नहीं है जिसमें सैकड़ों छात्रों का भविष्य शामिल है जो पेशेवर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक हैं। यदि इस मामले में प्रमुख उत्तर को गुप्त रखा जाता तो उपचार बीमारी से भी बदतर होता क्योंकि इतने सारे छात्रों को चुपचाप अन्याय का सामना करना पड़ता। मुख्य उत्तर के प्रकाशन ने एक ऐसी अप्रिय स्थिति को उजागर किया है जिसका समाधान विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को ढूंढना चाहिए। मुख्य उत्तरों को प्रकाशित करने में उनकी निष्पक्षता की भावना ने उन्हें उन परीक्षाओं की प्रणाली को करीब से देखने का अवसर दिया है जो वे आयोजित करते हैं। जो विफल हुआ है वह कंप्यूटर नहीं बल्कि मानव प्रणाली है।

16. श्री कक्कड़, जो विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए, ने यह प्रतिवाद किया कि एक प्रमुख उत्तर की शुद्धता के लिए कोई चुनौती तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि यह गलत न हो। हम इस बात से सहमत हैं कि प्रमुख उत्तर को तब तक सही माना जाना चाहिए जब तक कि यह गलत साबित न हो जाए और इसे तर्कसंगत या तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया द्वारा गलत नहीं माना जाना चाहिए। यह स्पष्ट रूप से गलत होने के लिए प्रदर्शित किया जाना चाहिए, अर्थात यह ऐसा होना चाहिए कि किसी विशेष विषय में अच्छी तरह से वाकिफ पुरुषों का कोई उचित निकाय सही न माने। इस मामले में बड़ी संख्या में स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों द्वारा विश्वविद्यालय के तर्क को गलत साबित किया गया है, जो आमतौर पर यूपी में

छात्रों द्वारा पढ़ी जाती हैं। उन पाठ्यपुस्तकों में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि छात्रों द्वारा दिया गया उत्तर सही है और मुख्य उत्तर गलत है।"

12. ***कानपुर विश्वविद्यालय (पूर्वोक्त)*** में उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में इस न्यायालय ने ***मनीष उज्ज्वल और अन्य बनाम महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय और अन्य, 2005 (13) एस. सी. सी. 744*** में पैराग्राफ 9 और 10 में निम्नलिखित शब्दों में इस सिद्धांत को दोहराया हैः–

"9. कानपुर विश्वविद्यालय बनाम समीर गुप्ता वाले मामले में इसी तरह की समस्या पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि प्रमुख उत्तरों के सही होने के बारे में एक धारणा है और संदेह के मामले में, न्यायालय निश्चित रूप से प्रमुख उत्तरों को प्राथमिकता देगा। यही कारण है कि हमने उन प्रमुख उत्तरों का उल्लेख नहीं किया है जिनके बारे में विशेषज्ञों के बीच विचारों के अंतर के परिणामस्वरूप संदेह है। मुख्य उत्तरों के संबंध में जहां मामला संदेह के दायरे से परे है, इस न्यायालय ने माना है कि छात्रों को ऐसा उत्तर नहीं देने के लिए दंडित करना अनुचित होगा जो मुख्य उत्तर के अनुरूप हो, अर्थात ऐसा उत्तर जो गलत दिखाया गया है। उपरोक्त छह प्रमुख उत्तरों के स्पष्ट रूप से गलत होने के बारे में कोई विवाद नहीं है और इस तथ्य पर विश्वविद्यालय के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सही तरीके से सवाल नहीं उठाया गया है। इस दृष्टि से विश्वविद्यालय की गलती और लापरवाही का खामियाजा छात्रों को नहीं भुगतना पड़ सकता है।

10. उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गंभीर अवैधता की प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि "यह निश्चितता के साथ नहीं कहा जा सकता है कि प्रमुख उत्तरों में दिए गए छह प्रश्नों के उत्तर त्रुटिपूर्ण और गलत थे।" जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, प्रमुख उत्तर स्पष्ट रूप से गलत हैं। मामले के उस दृष्टिकोण में, छात्र समुदाय, चाहे अपीलकर्ता या हस्तक्षेप करने वाले या यहां तक कि वे लोग भी जिन्होंने उच्च न्यायालय या इस न्यायालय से संपर्क नहीं किया, उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा की गई गलतियों के कारण पीड़ित नहीं किया जा सकता है। फिलहाल हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है कि यह त्रुटि गलत मुख्य उत्तर देने में कैसे हुई और किसने लापरवाही की। साथ ही, हालांकि, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विश्वविद्यालय और मुख्य उत्तर तैयार करने वालों को बहुत सावधान रहना होगा और एक से अधिक कारणों से इन मामलों में अत्यधिक सावधानी आवश्यक है। हम उनमें से कुछ का उल्लेख करते हैं; पहला और सर्वोपरि कारण गलत उत्तर के रूप में छात्र का कल्याण होना योग्यता को नुकसान पहुंचा सकता है। एक युवा छात्र की दुर्दशा को उसके करियर की दहलीज पर अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि सही उत्तर देने के बावजूद छात्र गलत और स्पष्ट रूप से गलत कुंजी उत्तरों के परिणामस्वरूप पीड़ित होता है; दूसरा कारण यह है कि अदालतें शैक्षिक मामलों में दखल देने में धीमी हैं,

जो बदले में, मुख्य उत्तर तैयार करते समय विश्वविद्यालय पर एक उच्च जिम्मेदारी डालती है; और तीसरे, संदेह की स्थिति में, लाभ विश्वविद्यालय के पक्ष में जाता है न कि छात्रों के पक्ष में। यदि संबंधित व्यक्तियों द्वारा मुख्य उत्तर प्रदान करने में लापरवाही का यह रवैया अपनाया जाता है, तो गलत और भ्रामक उत्तरों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सहित उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं, लेकिन हम वर्तमान मामले में ऐसे निर्देश जारी करने से परहेज करते हैं।"

13. इसी प्रभाव के लिए, इस न्यायालय ने ***गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम सौमिल गर्ग और अन्य, 2005 (13) एससीसी 749*** में विश्वविद्यालय को सीबीएसई द्वारा प्रदान किए गए प्रमुख उत्तरों के संदर्भ में 8 प्रश्नों के उत्तरों का पुनर्मूल्यांकन करने का निर्देश दिया था। इस न्यायालय ने विश्वविद्यालय द्वारा अपनाए गए उस पाठ्यक्रम को भी नामंजूर कर दिया जिसमें प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को अंक दिए गए हैं, भले ही किसी ने प्रश्नों का उत्तर दिया हो या नहीं।

14. एक अन्य निर्णय जिसका उल्लेख किया गया है वह ***राजेश कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2013 (4) एससीसी 690*** है, जहां इस न्यायालय को गलत उत्तर कुंजी का उपयोग करके गलत मूल्यांकन से संबंधित मामले पर विचार करने का अवसर मिला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। चयन प्रक्रिया में एक लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा शामिल थी। असफल उम्मीदवारों ने चयन पर हमला किया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस मॉडल उत्तर कुंजी को विशेषज्ञों के लिए निर्दिष्ट किया। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर एकल न्यायाधीश ने कहा कि

100 में से 41 मॉडल उत्तर गलत हैं। एकल न्यायाधीश ने कहा कि पूरी परीक्षा रद्द की जा सकती है और इसी तरह उसके आधार पर नियुक्तियां भी रद्द की जा सकती हैं। पत्र पेटेंट अपील कुछ उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई थी जिसे आंशिक रूप से उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा अनुमति दी गई थी। खण्ड पीठ ने एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया और घोषणा की कि पूरी परीक्षा को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। खण्ड पीठ के आदेश को चुनौती दी गई जिसमें इस न्यायालय ने पैराग्राफ 19 में कहाः–

> "19. श्री राव द्वारा दी गई दलीलें बिना किसी योग्यता के नहीं हैं। उत्तर कुंजी में दोष की प्रकृति को देखते हुए स्क्रिप्ट के मूल्यांकन को सही करने का सबसे स्वाभाविक और तार्किक तरीका कुंजी को सही करना और उसके आधार पर उत्तर कुंजी का फिर से मूल्यांकन करना था। इन परिस्थितियों में, आयोग द्वारा नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं था, विशेष रूप से जब किसी कदाचार, धोखाधड़ी या भ्रष्ट उद्देश्यों के बारे में कोई आरोप नहीं था, जो सभी संबंधित लोगों द्वारा एक नए प्रयास के लिए पिछली परीक्षा को प्रभावित कर सकता था। सही कुंजी के संदर्भ में उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया तेज होने के अलावा कम खर्चीली भी होगी। यह प्रक्रिया पहले आयोजित परीक्षा और उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार आयोजित परीक्षा के बीच समय अंतराल के कारण किसी भी उम्मीदवार को कोई अनुचित लाभ नहीं देगी। यह

कहना पर्याप्त होगा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पुनर्मूल्यांकन एक बेहतर विकल्प था और है।"

15. पेपरसेटर या परीक्षा निकाय द्वारा तैयार किए गए मुख्य उत्तरों को उचित विचार–विमर्श के बाद तैयार किया गया माना जाता है। गलती करना मानवीय है। ऐसे कई कारक हैं जो गलत उत्तर कुंजी को तैयार करने का कारण बन सकते हैं। प्रमुख उत्तरों का प्रकाशन पारदर्शिता प्राप्त करने और उम्मीदवारों को अपने उत्तरों की शुद्धता का आकलन करने का अवसर प्रदान करने की दिशा में एक कदम है। जांच निकाय द्वारा अपलोड किए गए प्रमुख उत्तरों के खिलाफ आपत्तियां दर्ज करने का अवसर इस प्रक्रिया में निष्पक्षता और पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में एक कदम है। प्रमुख उत्तरों पर आपत्तियों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जानी है और उसके बाद जांच निकाय द्वारा सुधारात्मक उपाय, यदि कोई हो, किए जाने चाहिए। वर्तमान मामले में हमने देखा है कि आपत्तियों पर विचार करने के बाद आयोग द्वारा अंतिम मुख्य उत्तर प्रकाशित किए गए थे, उसके बाद आयोग द्वारा अपनाए गए मुख्य उत्तरों की शुद्धता को चुनौती देते हुए कई रिट याचिकाएं दायर की गई थीं। उच्च न्यायालय ने विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करते हुए चुनौती को खारिज कर दिया। उम्मीदवार अभी भी असंतुष्ट हैं, वे इन अपीलों को दायर करके इस न्यायालय में आए हैं।

16. इस न्यायालय ने अपीलों की सुनवाई करते हुए हमारे समक्ष उठाए गए कुछ प्रस्तुतियों में सार पाया और अपीलकर्ताओं ने इस न्यायालय को संतुष्ट किया कि विशेषज्ञों द्वारा कुछ प्रश्नों की फिर से जांच करने की आवश्यकता है, इस न्यायालय ने 16.01.2018 को निर्देश जारी किए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में विशेषज्ञ समिति ने उन प्रश्नों की जांच की जिनके संबंध में इन अपीलों में आपत्तियां उठाई गई थीं। इस न्यायालय के दिनांक 16.01.2018 के आदेश के बाद आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को अपनाया,

जिसने उन प्रश्नों की फिर से जांच की, जिनके संबंध में हमारे समक्ष इन अपीलों में आपत्तियां उठाई गई थीं। आयोग द्वारा दिनांक 17.04.2018 को एक शपथ पत्र दायर किया गया है। शपथ पत्र में निम्नलिखित बयान शामिल हैं:–

(i) विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर, 9 विषयों के 22 प्रश्नों के उत्तर सही और संशोधित किए गए थे। [शपथ पत्र का पृष्ठ 2 और 3] [चार्ट पृष्ठ 5 पर संलग्न किया गया है]

(ii) शपथ पत्र के पृष्ठ 5 के चार्ट के अनुसार पेपर । (सामान्य जागरूकता और सामान्य अध्ययन) में विशेषज्ञों द्वारा किए गए संशोधन के अवलोकन से पता चलता है कि:

(क) विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ता के **अभ्यावेदन को स्वीकार कर लिया** और पहले हटाए गए 18 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 53, 57, 60) को बरकरार रखा।

(ख) विशेषज्ञों ने याचिकाकर्ताओं का **अभ्यावेदन स्वीकार कर लिया** और शेष 57 प्रश्नों में 1 प्रश्न (प्रश्न संख्या 3) के उत्तर को सही कर दिया।

(ग) विशेषज्ञों ने 5 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 25, 28, 33, 49, 58) के उत्तर में सुधार की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन को **खारिज कर दिया।**

(iii)आरपीएससी ने कहा है कि **स्कूल लेक्चररों के कुल विज्ञापित पदों (13,098) में से 1045 पद अभी भी रिक्त हैं।[हलफनामे का पृष्ठ 3 और 7]** [चार्ट पृष्ठ 47 पर संलग्न किया गया है]

(iv) आरपीएससी ने कहा है कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित 311 विशेष अनुमति याचिकाकर्ताओं में से 48 अपनी उत्तर पुस्तिकाओं के संशोधन के

बाद स्कूल व्याख्याता के रूप में चयन के लिए योग्यता के भीतर हैं। **[शपथपत्र का पृष्ठ 3–4, पैराग्राफ 8]**

17. दिनांक 02.04.2018 के अपने आदेश द्वारा, हमने सभी पक्षों को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है।रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करा दी गई हैं। सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विशेषज्ञ समिति द्वारा इन अपीलों में उठाई गई पर्याप्त शिकायतों का निवारण किया गया है। अपीलार्थियों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों को काफी हद तक स्वीकार कर लिया गया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है। हालांकि, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए कुछ उत्तर अभी भी सही नहीं हैं। हमारे समक्ष कुछ ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जिनके बारे में अपीलार्थियों के अनुसार विशेषज्ञ समिति द्वारा संतोषजनक रूप से विचार नहीं किया गया है। पेपर नंबर 1 के प्रश्न संख्या 58 को संदर्भित करना पर्याप्त होगा। अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता का कहना है कि विशेषज्ञ समिति ने विकल्प संख्या 4 को सही विकल्प के रूप में स्वीकार किया है, जबकि सही विकल्प संख्या 3 है। अपीलार्थियों के विद्वत अधिवक्ता को अपनी बात को स्पष्ट करना है, जिसने हमारे सामने निम्नलिखित चार्ट रखा है:–

प्रश्न संख्या 58	विकल्प उत्तर	आरपीएससी उत्तर	विशेषज्ञ रिपोर्ट (पृ. 15)	याचिकाकर्ता का जवाब	समर्थन में साक्ष्य
शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह	(1) 35 टीचिंग प्लस तैयारी घंटे	विकल्प 4	विकल्प 4	विकल्प 3	1. आरटीई अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया है कि

कार्य करने के न्यूनतम घंटे आरटीई अधिनियम, 2009 में	(2) 40 टीचिंग प्लस तैयारी के घंटे (3) 45 शिक्षण घंटे (4) 45 शिक्षण और तैयारी के घंटे				"शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य के न्यूनतम घंटे:तैयारी के घंटोंसहित: पैंतालीस" 2 आरपीएससी ने स्कूल लेक्चरर परीक्षा 2013 में भी यही सवाल पूछा था और "45 टीचिंग आवर्स" को सही उत्तर माना था। विशेषज्ञ समिति ने स्वयं पृ. 15 पर आरटीई

					अधिनियम, 2009 को उद्धृत करते हुए "न्यूनतम शिक्षण घंटों को 'तैयारी घंटों सहित 45 शिक्षण घंटों' के रूप में उद्धृत किया"

18. 24 अप्रैल, 2018 को सुनवाई के समय, पहली बार में, हमने यह भी पाया कि प्रश्न संख्या 21 के संबंध में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो तर्क दिया गया है, उसमें सार हो सकता है, हालांकि, जब हमने विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए प्रश्न और उसके उत्तर की पूरी तरह से जांच की, तो हम विशेषज्ञ समिति द्वारा दिए गए उत्तर से सहमत हैं। विशेषज्ञ समिति की राय को स्वीकार करने का कारण इस प्रकार हैः *प्रश्न संख्या 58 जो पूछा गया थाः "आरटीई अधिनियम, 2009 में शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कार्य करने के न्यूनतम घंटे हैं।"*

19. इस प्रकार उत्तर में कार्य घंटों की संख्या दर्शानी होगी। आरटीई एक्ट 24 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया है जहां एक सप्ताह के लिए न्यूनतम शिक्षण घंटे इस प्रकार उल्लिखित हैं: "**45 तैयारी के घंटों सहित शिक्षण।"** इस प्रकार प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 प्रदान

की गई है जिसमें शिक्षण और तैयारी के घंटे दोनों शामिल हैं। वैधानिक प्रावधान शिक्षण शब्द का उपयोग करता है जिसमें तैयारी के घंटे शामिल हैं जबकि उत्तर शिक्षण और तैयारी के घंटे शब्दों का उपयोग करता है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि आंकड़ा 45 एक सही आंकड़ा है, केवल इस बारे में मुद्दा है कि विकल्प संख्या 3 सही है या विकल्प संख्या 4। विकल्प संख्या 3 में 45 शिक्षण घंटों का उल्लेख है। उत्तर संख्या 3 स्पष्ट रूप से वैधानिक नुस्खे के अनुसार नहीं है जो "तैयारी के घंटे सहित 45 शिक्षण" प्रदान करता है। इस प्रकार, सही उत्तर विकल्प संख्या 4 है जिसमें 45 शिक्षण और तैयारी के घंटों का उल्लेख किया गया है। "कानूनी प्रावधान में "include" शब्द का उपयोग करने के बजाय उत्तर में "plus" शब्द का उपयोग किया गया है। जब अंक 45 में शिक्षण के साथ–साथ तैयारी के घंटे भी शामिल हैं, तो शिक्षण और तैयारी के घंटे शब्द का उपयोग समान अर्थ को दर्शाता है। इस प्रकार हमें उपर्युक्त निवेदन में कोई सार नहीं मिला है।

20. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने पेपर संख्या 1 में कई अन्य प्रश्नों को भी इंगित किया है, जिनका विशेषज्ञ समिति द्वारा अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार सही उत्तर नहीं दिया गया है। हमने विशेषज्ञ समिति द्वारा इंगित किए गए कुछ और प्रश्नों पर विचार किया है और हमारा विचार है कि हमारे सामने इंगित किए गए तीन और प्रश्नों के संबंध में विशेषज्ञ समिति के उत्तरों में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है। उत्तर कुंजी के सत्यापन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई हर आपत्ति का अध्ययन किया है और संतोषजनक जवाब दिया है। आयोग ने विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है और हमारे समक्ष उपस्थित 311 अपीलार्थियों के परिणामों को संशोधित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।इस प्रकार, हमारा विचार है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट, जिसे आयोग ने स्वीकार कर लिया है, को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

21. अपीलकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोधों में से एक यह है कि हटाए गए प्रश्नों के अंकों को अन्य प्रश्नों में पुनर्वितरित नहीं किया जाना चाहिए था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि या तो सभी उम्मीदवारों को हटाए गए सभी प्रश्नों के लिए समान अंक दिए जाने चाहिए थे या केवल उन उम्मीदवारों को अंक दिए जाने चाहिए थे जिन्होंने उन प्रश्नों को करने का प्रयास किया था।

22. उत्तरों से प्रश्नों को हटाए जाने के बाद, प्रश्न पत्र को हटाए गए प्रश्नों को कम करने वाले प्रश्न के रूप में माना जाना चाहिए। हटाए गए प्रश्नों के संबंध में अंकों का पुनर्वितरण मनमाना या अतार्किक नहीं कहा जा सकता है। उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए आयोग ने सभी उम्मीदवारों से निपटने के लिए एक समान तरीका अपनाया है। हमारा विचार है कि सभी उम्मीदवारों को उनके द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या के अनुसार अंकों के पुनर्वितरण से लाभ हुआ है। इस प्रकार, हम हटाए गए अंकों के अंकों के पुनर्वितरण में कोई गलती नहीं पाते हैं।उच्च न्यायालय ने सही तरीके से इस पद्धति को मंजूरी दी है।

23. आयोग द्वारा दाखिल शपथ पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि परिणाम में केवल 311 अपीलार्थियों का संशोधन किया गया है जो इस न्यायालय के समक्ष हैं। हमारा विचार है कि प्रमुख उत्तरों को सही किया गया है, उन उम्मीदवारों को छोड़कर जिन्हें पहले से ही चुना गया है, सभी उम्मीदवारों की योग्यता को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है। हमारे दिनांक 16.01.2018 के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि यह कवायद उन लोगों को प्रभावित नहीं करेगी जो पहले से ही चयनित हो चुके हैं। इस प्रकार हमारा विचार है कि आयोग को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों के पूरे परिणाम को संशोधित करना चाहिए और सभी उम्मीदवारों के संशोधित परिणाम प्रकाशित करने चाहिए। जब परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के प्रमुख उत्तर सही होते हैं,

तो वे अपने परिणाम के संशोधन के हकदार होते हैं, क्योंकि गलती उम्मीदवारों की नहीं, बल्कि परीक्षा निकाय की होती है। उन उम्मीदवारों को लाभ नहीं देना न्यायसंगत नहीं होगा जो आयोग और इसकी पूर्व की विशेषज्ञ समिति जिन्हें मुख्य उत्तरों को संशोधित करने का कार्य दिया गया था द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट होकर न्यायालय नहीं आए हैं।

24. पूर्वगामी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, हम निम्नलिखित निदेशों के साथ इन अपीलों का निपटान करते हैं:

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग को दिनांक 16.01.2018 के हमारे आदेश के अनुसरण में गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर सभी अपीलकर्ताओं सहित सभी उम्मीदवारों के परिणाम को संशोधित करने और संशोधित परिणाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाता है।

(2) उपर्युक्त प्रक्रिया को पूरा करते समय आयोग को उन सभी उम्मीदवारों के परिणाम को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं है जिनके नाम पहले प्रकाशित चयन सूची में शामिल किए गए थे। हमने पहले ही यह इंगित कर दिया है कि इस प्रक्रिया से नियुक्तियां प्रभावित नहीं होंगी, इसलिए उनके परिणाम को संशोधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, यह प्रक्रिया उन सभी उम्मीदवारों को छोड़कर की जाएगी जो चयन सूची में शामिल हैं।

(3) आयोग उन संबंधित श्रेणियों में अंतिम चयनित उम्मीदवारों के कट ऑफ अंक भी प्रकाशित करेगा, जिन्हें चयन सूची में शामिल किया गया था, जिसके आधार पर आयोग द्वारा नियुक्तियां की गई हैं।

(4) संशोधित परिणाम के आधार पर, जो उम्मीदवार अपने संबंधित श्रेणियों में समान या अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें 1045 रिक्तियों के लिए नियुक्ति की

पेशकश की जाएगी, जैसा कि आयोग द्वारा उपरोक्त शपथ पत्र के पैराग्राफ 7 में उल्लेख किया गया है।

(5) परिणाम को संशोधित करने और नियुक्तियों के लिए सिफारिशें करने का पूरा कार्य आयोग द्वारा आज से तीन महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जायेगा। राज्य उसके बाद आवश्यक पारिणामिक कदम उठाएगा।

न्यायाधीश (ए.के.सीकरी)

न्यायाधीश (अशोक भूषण)

नई दिल्ली, 03 मई 2018

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।